

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ख : 2997  
06 फरवरी, 2019 प्रश्न संख्या

जॉनसन एण्ड जॉनसन के विरुद्ध मुकदमा

2997. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसए) को जॉनसन एण्ड जॉनसन बेबी पाउडर में ऐस्बेस्टस मिला है;
- (ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एफडीए-यूएसए से इस संबंध में किस प्रकार की मदद मांगी गई है/प्राप्त हुई है;
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि जॉनसन एण्ड जॉनसन बेबी पाउडर के विरुद्ध महाराष्ट्र में एक मुकदमा दायर हुआ था और महाराष्ट्र खाद्य और औषध प्रशासन ने जब यह पाया गया कि बेबी पाउडर में इथिलिन ऑक्साइड, जिससे कसर होता है का उपयोग करके स्टेरेलाइज किया जाता है, इसका लाइसेंस रद्द किया था; और
- (ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है और इसी कंपनी से इसी उत्पाद के संबंध में ऐसे मामले को पुनरावृत्ति के क्या कारण हैं?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): मीडिया रिपोर्टों और मैसस जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया लिमिटेड प्रा. लि. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार यूएसए में उक्त फर्म ने उक्त बेबी पाउडर जिसमें, क्रीसोटाइल एसबेस्टोज संदूषण ने सबट्रेज को मौजूदगी दर्शाई है, को एक सिगल बोतल पर यूएस एफडीए परीक्षण अनुपालन करके जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को 33000 बोतल मंगाई थी।

वष 2008 म, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर म कसर के कारक एस्बेस्टोज के होने के संबंध म व्यापक तौर पर व्याप्त मीडिया रिपोर्टों के चलते स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतगत कद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के जोनल और सब जोनल अधिकारियों ने औषधि एवं सौन्दय प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं इसके अंतगत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत बेबी पाउडर और इसके निमाण म प्रयुक्त भारी मात्रा म बल्क टाल्क सामग्री के नमूने मंगाए थे।

इसके अलावा, मुंबई और बाडी स्थित जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को विनिमाण इकाइयों म जांच का संचालन किया गया था। इन नमूनों को परीक्षण हेतु क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आरडीटीएल), चंडीगढ़ को भेजा गया था। आरडीटीएल चंडीगढ़ के सरकारी विश्लेषकों ने इन नमूनों को मानक गुणवत्ता वाले घोषित किया और यह भी बताया कि इन विश्लेषित नमूनों म एस्बेस्टोज नहीं पाया गया।

(घ) और (ङ): खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), महाराष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उन्होंने शिकायत के आधार पर एक निरीक्षण का आयोजन किया और इसके निष्कर्षों के आधार पर इस कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा तत्पश्चात 30.3.2013 को इसके लाइसंस को रद्द कर दिया गया। फम ने एफडीए महाराष्ट्र के अपीलीय प्राधिकरण को एक याचिका दायर को जिसने दिनांक 20.6.2013 के आदेश के माध्यम से इस याचिका को खारिज कर दिया।

तत्पश्चात दिनांक 30.03.2013 के आदेश को चुनौती देते हुए इस फम ने माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई म एक रिट याचिका संख्या 1714/2013 दायर को। न्यायालय ने दिनांक 19/09/2013 के आदेश के माध्यम से 30.03.2013 के आदेश के एक तरफ कर दिया और यह भी निदंश दिया कि अपीलीय प्राधिकारी को इस मामले म नए सिरे से निणय लेना चाहिए। इस समस्त मुद्दे को पुनः जांच किए जाने के बाद, एफडीए महाराष्ट्र के लाइसंस प्राधिकरण ने दिनांक 15.03.2014 के आदेश के माध्यम से मैसस जॉनसन एंड जॉनसन के विनिमाण लाइसंस को रद्द कर दिया।

मैसेज जॉनसन एंड जॉनसन ने दिनांक 15.03.2014 के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय मुंबई म वष 2014 को एक रिट याचिका संख्या 984 दायर को। न्यायालय ने दिनांक 23.06. 2014 के आदेश के माध्यम से याचिकाकता अथात मैसस जॉनसन एंड जॉनसन को अंतरिम आदेश प्रदान किया।

इसके अलावा एस्बेस्टोज होने के संबंध म टैल्कस पाउडर के परीक्षण के लिए एफडीए, महाराष्ट्र द्वारा माच 2016 म एक विशेष अभियान चलाया गया और एस्बेस्टोज अवशेषों के लिए 14 नमूने एकत्रित किए गए और इनको जांच को गई। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा विनिमित बेबी पाउडर सहित 14 म से किसी नमूने म एस्बेस्टोज नहीं पाया गया।

\*\*\*\*\*